SUMMERY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR

CODE,1898

In the Court of रवि कुमार कश्यप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पखांजूर, जिला उ0ब0 कांकेर छ0ग0

Case No. **865 of 2022** Complaint report mase on थाना बान्दे जिला उ0ब0 कांकेर (छ0ग0)

Name and Address of the Complainant C.G. State Vs. संतोष किर्तनिया़

———————————————————————————————————

Name] Parentage, cast and address of accused

नाम	पिता	उम्र	पता
संतोष किर्तनिया़	हरिनाथ किर्तनिया	25	निवासी ग्राम पी0व्ही0–89 थाना बान्दे जिला उ0ब0 कांकेर छ0ग0

———————————————————————————————————

The offence complained of, and date of its alleged commission

01– आपने दिनांक 02.11.2022 समय 15:10 बजे स्थान पी0व्ही0– 83 चौक थाना बान्दे जिला उ0ब0 कांकेर छ0ग0 अंतर्गत पर वाहन मोटर सायकल क्रमांक C.G.-04 CQ-3280 लोक मार्ग पर अधिकृत पुलिस अधिकारी के द्वारा मांग किये जाने पर उक्त वाहन के दस्तावेज पेश नही किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया जो धारा 130(3)/177 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

क्या आप अपराध स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो ?

(रवि कुमार कश्यप)
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी
पखांजूर

———————————————————————————————————

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार

(रवि कुमार कश्यप)
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी
पखांजूर

———————————————————————————————————

The offence Poverd if any and in under clause(d) clause(e) clause(f) or clause(g) of sub section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed .

GRPRJ-FS/430-3/2001-1,00,000

//निर्णय//
(आज दिनांक 12.11.2022 को घोषित किया गया)

01) अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार किए जाने के कारण अभियुक्त/अभियुक्तगण को **धारा 130(3)/177 मोटरयान अधिनियम** के अपराध का दोषी पाया जाकर दोषसिद्ध किया जाता है।

02) अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा **धारा 130(3)/177 मोटरयान अधिनियम** के अपराध के लिए **100/– रूपये** मात्र के अर्थ दण्ड के दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड में व्यतिक्रम किये जाने पर 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास की सजा भुगताई जावें।

03) प्रकरण में यदि वाहन जप्त हो तो मय कागजात पंजीकृत वाहन स्वामी को लौटायी जावें।

स्थान–पखांजूर
दिनांक–12.11.2022

(रवि कुमार कश्यप)
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी
पखांजूर